[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 05/2023-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2023

सा.का.नि. (अ.)-केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उत्पाद-शुल्क अधिनियम' कहा गया है) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के टैरिफ मद 27112100 के अधीन आने वाली संपीड़ित प्राकृतिक गैस (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सीएनजी'कहा गया है), जब बायोगैस या संपीड़ित बायोगैस (जिसे इसमें इसके पश्चात 'सीबीजी' कहा गया है), के साथ मिश्रित की जाती है, ऐसी मिश्रित सीएनजी में अंतर्विष्ट बायोगैस या सीबीजी पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर पर उद्ग्रहीत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम पर, नीचे उपाबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है ।

उपाबंध

शर्तें
ऐसी मिश्रित सीएनजी का विनिर्माता: (i) रजिस्ट्रीकृत परिसरों में सीएनजी के साथ मिश्रित बायोगैस या सीबीजी की मात्रा और उसके मूल्य के रिकार्डों के विस्तृत ब्यौरे को बनाए रखेगा । (ii) आने वाले प्रत्येक तिमाही के बाद की 10 तारीख को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अधिकारिता वाले आयुक्त को कानूनी संपरीक्षक द्वारा सत्यापित किए गए सुलह संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा ; और (iii) ऐसी सुलह के पश्चात् लागू ब्याज के साथ उत्पाद-शुल्क की अल्पकालिक संदत्त ड्यूटी का भुगतान करेगा ।

स्पष्टीकरण.– इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या एकीकृत कर" का अर्थ है केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्य का राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), और एकीकृत माल और

सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्गृहीत क्रमश:केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. स. 334/03/2023-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव, भारत सरकार